राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः पराविं/आप्र/PEAIS/2011/486 जयपुर, दिनांक 1-7-2013

:: आदेश ::

राज्य में पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन योजना (Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme) के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं का चयन करने हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 619 दिनांक 22.07.2011 के द्वारा गठित जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति (Block Panchayat Performance Assessment Committee,BPPAC) को निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता हैः–

1.	उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियन्ता, नरेगा	सदस्य
3.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा	सदस्य
4.	सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग	सदस्य
5.	उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा विभाग	सदस्य
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
7.	विकास अधिकारी, पंचायत समिति	सदस्य सचिव

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगीः–

1. राज्य/जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार पंचायत समिति से सम्बन्धित सूचनायें निर्धारित प्रारूपों में पूर्ती कर जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
2. निगरानी संकेतांकों के आधार पर पंचायत समिति क्षेत्र से सम्बन्धित ऐसी ग्राम पंचायतें, जो कि वर्तमान में न्यूनतम शर्तो को पूरा नहीं कर पा रही है, उनकी पृथक से सूची तैयार करना एवं उनके सशक्तिकरण एवं न्यूनतम शर्तो की पूर्ती हेतु कार्य/गतिविधियां प्रस्तावित करना।
3. ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रपत्रों में प्राप्त कर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाली ग्राम पंचायतों का निर्धारित संख्या में चयन करना एवं अभिशंसा सहित जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करना।
4. पंचायत समिति से सम्बन्धित सूचनाएं योजनान्तर्गत निर्धारित प्रारूपों में पूर्ती/ अनुमोदन कर जिला स्तरीय पंचायत मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य/जिला स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करना।
6. ग्राम पंचायतों के चयन प्रक्रिया की समय–समय पर संवीक्षा करना।
7. योजनान्तर्गत पुरस्कार राशि के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करवाना एवं पंचायत समिति से सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करवायीं गई राशि एवं विगत वर्षो में योजनान्तर्गत उपलब्ध करवायीं गई राशि का निर्धारित अवधि में उपयोग करवाकर उपयोगिता प्रमाण–पत्र भिजवाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

\\10.68.39.60\New D-Planning\Raju lal Gupta\peais-2013-14\raju lal ji letter.doc

प्रा/ज्ञा/२

प्रतिलिपिः—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. श्रीमती रश्मि शुक्ला शर्मा, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. जिला कलक्टर—जिला समस्त।
7. समस्त अधिकारी गण, पंचायती राज विभाग।
8. परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव (SAP), ग्रामीण विकास विभाग।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद समस्त।
10. उप खण्ड अधिकारी, समस्त।
11. विकास अधिकारी/सहायक अभियन्ता, नरेगा, पंचायत समिति—समस्त।
12. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा— पंचायत समिति।
13. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग—समस्त पंचायत समिति।
14. उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी—समस्त पंचायत समिति।
15. बाल विकास परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग— पंचायत समिति।

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

\\10.68.39.60\New D-Planning\Raju lal Gupta\peais-2013-14\raju lal ji letter.doc